सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 252 राँची, शुक्रवार, 1 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 22 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

16 अगस्त, 2019

विषयः- राज्य योजनान्तर्गत संचालित "काबल एवं वस्त्र वितरण योजना" का हस्तांतरण की स्वीकृति।

ज्ञापांकः- 05/म०स०/राज्य योजना-203/2019- 1993--राज्य में गरीची रेखा से नीचे जीवन-बसर करने वाले अभावग्रस्त व्यक्तियों यथा वृद्धों दिव्यागों, विधवाओं, भूमिहीनों, बंधुआ मजदूरों तथा भिक्षुओं को जाड़े में ठंढ से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा कम्बल वितरण योजना संचालित है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 तक श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को राज्य योजनान्तर्गत संचालित कम्बल वितरण योजना के तहत् कम्बल का वितरण किया जाता था।

3. विभागों के पुर्नगठन एवं मुख्य सचिव झारखण्ड के निदेश के आलोक में कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना का क्रियान्ययन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 से महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची द्वारा किया जायेगा ।

4. विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में कम्बल का मानक(Specification and Dimension) निम्नवत् होगी-

उत्पाद	Specification and Dimension
कम्बल	Woollen plain size 60"x90", weight Minimum 2 Kg.

5. कम्बल का क्रय निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड अथवा उपायुक्त द्वारा GeM/e-Tender/NEMLके माध्यम से निविदा/Reverse Auctionके द्वारा किया जायेगा।

6. विभाग द्वारा सभी उपायुक्त को आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा। क्रय किये गये कम्बल का भुगतान उपायुक्त द्वारा किया जायेगा।

7. लाभूकों का चयन उपायुक्त द्वारा पंचायती राज संस्थान, स्थानीय नगर निकाय अथवा अपने अधीनस्थ प्रशासनिक तंत्र द्वारा कराया जायेगा।

8. कम्बल वितरण के उपरांत लाभान्वितों की सूची उपायुक्त द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

9. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 14.08.2019 की बैठक में मद संख्या-07 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 252 - 50